संख्या-99/2025/866/003-23-9002(002)/70/2024

प्रेषक,

शिव कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-9 **लखनऊ::दिनांक 27 मार्च, 2025**

विषय - वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत जनपद अयोध्या के बारून-शाहगंज-इसौली मार्ग के चैनेज 6.30 से निकलकर चमरौटी ग्राम(राजस्व ग्राम मुकीमपुर उर्फ पहाड़पुर) सम्पर्क मार्ग के चालू कार्य हेतु लैप्स धनराशि आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता(मु-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र सं0-66/31पी0जे0(आ0)/आरएसडी-5/24, दिनांक 27.07.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत जनपद अयोध्या के बारून-शाहगंज-इसौली मार्ग के चैनेज 6.30 से निकलकर चमरौटी ग्राम(राजस्व ग्राम मुकीमपुर उर्फ पहाड़पुर) सम्पर्क मार्ग के चालू कार्य हेतु निम्न तालिका में उल्लिखित शासनादेश द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में वित्तीय वर्ष 2024-25 में तालिका के स्तम्भ-11 के अनुसार कुल रू0 17,75,000/- (रूपये सत्रह लाख पचहत्तर हजार मात्र) की लैप्स/व्यपगत धनराशि अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	मूल स्वीकृति का शासनादेश संख्या	निर्माण लागत/ अनुरक्षण लागत/ स्वीकृत लागत/ प्रावैधिक स्वीकृति	बचत	बचत की उपरांत कार्य की लागत	अब तक अवमुक्त धनराशि	शासनादेश, जिसकी धनराशि व्यपगत हुई	व्यपगत धनराशि	वित्तीय वर्ष 2024-25 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	नि0 ख.-4 अयोध्या	बारून-शाहगंज-इसौली मार्ग के चैनेज 6.30 से निकलकर चमरौटी ग्राम(राजस्व ग्राम मुकीमपुर उर्फ पहाड़पुर) सम्पर्क मार्ग।	52/2021/122/23-9-2021-19नाबार्ड (स0मा0)/2020 दिनांक-23-12-2021	116.08 10.60 126.68 126.68	0.53	126.15	115.55	202/2021/1183/23-9-2021-13नाबार्ड (स0मा0)/2019 दिनांक-23-12-2021	17.75	17.75

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इस उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त मार्ग को निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापरक पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2023, दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्तम्भ -5 व 9 में अंकित शासनादेशों की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(5) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं.-10/2022/बी-1-345/दस-2022,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 17,75,000 (रुपये सत्रह लाख पचहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054043376400 नाबार्ड वित्त पोषित आर आई डी एफ योजना अन्तर्गत कृषि विपणन सुविधाओं हेतु सम्पर्क मार्गों/लघु सेतुओं के चालू कार्यों हेतु व्यवस्था (जिला योजना) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
शिव कुमार
अनु सचिव।

<u>संख्या- उपरोक्त एवं तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- जिलाधिकारी, संबंधित जनपद।
3- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
4- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
6- महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
10- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता , लो0नि0वि0।
11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 /वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-2, उ0प्र0शासन ।
12- लोक निर्माण अनुभाग-10/श्रम अनुभाग-2
13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
शिव कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in